रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2008.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 13 अगस्त, 2008 / 22 श्रावण, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7–8–2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ(5) 103 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव तरकूण, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हमीरपरु–सुजानपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग म0 क्षेत्र मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (कनाल–मरले में)
हमीरपुर	सुजानपुर	तरकूण	170 / 112	4–18
			कुल किता 1	4–18

शिमला–2 8–8–2008

सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5) 111 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव भाम्बला, उप तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुममारवीं सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कायेरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हैक्टयर)
मण्डी	बलद्वाडा	भाम्बला	561 / 1	0–00–22
			1435 / 542 / 1	0–00–12
			1433 / 542 / 1	0–00–05
			1432 / 542 / 1	0–00–30
			542 / 1 / 1	0–00–30
			403 / 1	0–00–72
			400 / 1	0–00–40
			630 / 1	0–00– 50
			632 / 1	0–01–32
			627 / 1	0–00–19
		कुल जोड़	किता–10	0–04–12

शिमला–2, 8–8–2008

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5) 113 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजेन हेतु गांव बलद्वाड़ा, उप तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुमारवीं सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समार्हता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टयर)
मण्डी	बलद्वाडा	बलद्वाडा	1683 / 879 / 1	0–00–10
			1684 / 879 / 1	0–00–50
			882 / 1	0–00–20
			1317 / 1	0–00–20
			1316 / 1	0–00–18
			1315 / 1	0–00–15
			1284	0–00–76
			976 / 1	0–00–09
		कुल जोड़	किता–8	0–02–18

शिमला–2, 8–8–2008

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5) 114 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव खुडला, उप तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुमारवीं सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समार्हता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टयर)
मण्डी	बलद्वाड़ा	खुडला	1045 / 229 / 1	0–00–21
			1044 / 229 / 1	0–00–16
			241	0–00–66
			473 / 1	0–00–77
			520 / 1	0–03–60
			520 / 2	0–00–44
			803 / 1	0–00–33
			804 / 1	0–00–26
		कुल जोड़	किता–8	0–06–43

शिमला–2, 8–8–2008

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5) 362 / 2007.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव लगेहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुमारवीं सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन समार्हता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्तिं दायर कर सकता हैं ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टयर)
मण्डी	सरकाघाट	लगेहड,	163 / 1	0–00–56
			165 / 1	0–00–82
			166	0–00–33
			167	0–01–69
			168 / 1	0–04–49
			169	0–10–16
			178 / 1	0–00–80
			185 / 1	0–00–52
			371 / 184	0–00–78
			186 / 1	0–00–39
			187 / 1	0–01–05
			198 / 1	0–00–68
			369 / 199 / 1	0–00–78
			200	0–03–80
			201 / 1	0–01–93
			202 / 1	0–01–19
			203	0–00–70
			204	0–04–39
			224	0–02–20
			222 / 1	0–01–77
			223	0–10–41
			225	0–01–32
			227	0–00–73
			211	0–01–44
			228 / 1	0–01–78
			229 / 1	0–00–48
			240 / 1	0–00–15
			241	0–02–29
			242 / 1	0–02–78
			243	0–00–36
			244 / 1	0–00–70
			258 / 1	0–02–70
			259	0–02–51
			260	0–02–10
			261 / 1	0–00–70
			290 / 1	0–00–11
			291 / 1	0–00–26
			292	0–01–17
			292 / 1	0–02–24
			301 / 1	0–00–21

		294	0–01–45
		303 / 1	0–00–23
		209	0–01–57
		171	0–00–77
	कुल जोड़	किता–44	0–77–49

शिमला–2, 7–8–2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ(5) 101 / 2007.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव बडवी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग–कोटखाई–हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	बडवी	111	0–05–99
			55	0–07–00
			61 / 1	0–03–51
			58	0–11–43
			282 / 1	0–00–40
			57 / 1	0–01–62
			60 / 1	0–01–53
			82	0–00–75
			68	0–41–74
			70 / 1	0–12–25
			299	0–10–54
			71	0–02–46
			64	0–42–05
			67	0–10–03
			267 / 1	0–01–50
			303	0–07–29
			169	0–01–62

	256	0—03—10
	417	0—00—84
	418	0—00—72
	457 / 1	0—37—73
	83	0—00—75
	89	0—01—72
	90	0—00—80
	18	0—11—34
	14	0—01—26
	22	0—03—08
	268	0—06—08
	79	0—00—33
	80	0—02—19
	81	0—00—60
	165	0—00—63
	263	0—10—58
	265	0—02—59
	13	0—08—53
	157 / 1	0—04—48
	156	0—01—14
	155	0—14—22
	164	0—00—14
	275	0—09—42
	276	0—02—00
	255	0—06—40
	168	0—00—90
	277	0—08—20
	36	0—07—68
	37	0—02—98
	173	0—01—08
	53	0—22—92
	273	0—07—48
कुल किता	49	3—30—75

शिमला—2, 7 अगस्त, 2008

संख्याः पी.बी.डब्लयू (बी)एफ(5) 92 / 2007.——यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव ढागंवी कलां, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग—कोटखाई—हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश

करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0) में
शिमला	कोटखाई	ढागंवी कलां	340	0–01–33
			362	0–00–35
			347	0–03–12
			346	0–00–48
			348	0–00–90
			551	0–13–73
			529	0–00–40
			530	0–00–48
			531	0–00–36
			532	0–00–24
			533	0–00–40
			534	0–06–36
			526	0–00–40
			527	0–00–84
			523	0–00–40
			525	0–02–12
			193	0–00–99
			194	0–03–96
			195	0–02–50
			196	0–02–18
			197	0–01–53
			587	0–08–85
			373	0–00–70
			368	0–00–42
			370	0–00–60
			371	0–00–36
			359	0–01–00
			358	0–00–40
			323	0–02–75
			339	0–01–30
			191	0–01–96
			186	0–01–48
			360	0–01–32
			361	0–01–37
			363	0–12–62
			365	0–12–33
			556	0–02–81
			517	0–12–64

		372	0–01–36
		342	0–01–95
		343	0–00–63
		367	0–00–72
		317	0–34–47
		357	0–00–96
		510	0–00–48
		511	0–03–23
		512	0–01–91
	कुल किता	48	1–60–07

शिमला–2, 8 अगस्त, 2008

सं0 पी0बी0डब्ल्यू; बी0एफ(5)263 / 2007.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव गुम्मा व पोहल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में गुम्मा–बखोल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग द0 क्षेत्र विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, द0 क्षेत्र, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	पुराने खसरा नम्बर	नये खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0) में
शिमला	कोटखाई	गुम्मा	306 / 4	785	0–15–04
			306 / 5		
			307 / 2 / 5		
			307 / 2 / 6		
			312 / 2 मिन	789	0–01–90
			252 मिन	695	0–06–36
			253 मिन		
			254 मिन		
			263 / 1	704	0–03–86
			240 मिन	718	0–05–24
			243 मिन	697	0–02–54
			258 मिन	700	0–08–12
			235 / 1 मिन		
			241 मिन	711	0–04–90
			243 मिन		
			265 मिन	818	0–00–86
			कुल किता	9	0–48–82

शिमला	कोटखाई	पोहल	339 मिन	598	0–01–57
			478 / 348 मिन	635	0–01–16
			478 / 348मिन	636	0–02–47
			477 / 348मिन	621	0–02–49
			259 मिन	672	0–01–61
			269 मिन	683	0–01–10
			256 मिन	669	0–01–44
			270 मिन	684	0–02–31
			268 मिन	692	0–02–52
			237 मिन	539	0–01–08
			238 मिन	543	0–08–67
			240 मिन		
			282 मिन	547	0–01–62
			272 मिन	653	0–03–18
			273 मिन	655	0–03–26
			353 मिन	646	0–02–42
			41 मिन	169	0–01–88
			283 मिन	548	0–01–92
			274 मिन	680	0–04–58
			501 / 276मिन		
			501 / 276मिन	693	0–00–42
			145 मिन	340	0–05–25
			145 मिन	393	0–03–35
			110 मिन	199	0–05–63
			117 मिन	228	0–01–50
			172 मिन	348	0–02–24
			280 मिन	546	0–08–02
			372 मिन	697	0–03–08
			5 मिन	137	0–05–58
			28 मिन	152	0–00–62
			5 मिन	153	0–06–95
			124 मिन	314	0–03–30
			146 मिन	342	0–05–79

136 मिन	343	0—02—82
465 / 343मिन	624	0—01—68
465 / 343मिन	626	0—02—02
482 / 348मिन	628	0—02—20
482 / 348मिन	630	0—03—21
260 मिन	674	0—03—75
354 मिन	688	0—05—28
201 मिन	411	0—10—30
123 मिन	232	0—03—74
76 मिन	269	0—06—80
23 मिन	142	0—04—64
24 मिन		
25 मिन		
29 मिन	151	0—00—81
38 मिन	161	0—05—08
39 मिन		
279 मिन	545	0—04—64
316 मिन	550	0—02—24
279 मिन	668	0—05—30
267 मिन	694	0—10—15
373 मिन		
427 / 48मिन	173	0—02—70
113 मिन	227	0—01—08
114 मिन		
115 मिन		
317 मिन	552	0—02—47
320 मिन	566	0—00—38
170 मिन	300	0—02—99
66 मिन	301	0—02—66
444 / 333मिन	556	0—01—87
427 / 48मिन	172	0—04—84
430 / 49मिन	296	0—02—70
67 मिन		
कुल किता	57	1—99—95

शिमला–2, 8 अगस्त, 2008

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0–(5) 110 / 2008.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मनवाण, उप तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर–सरकाघाट–घुमारवीं सड़क को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोइे आपत्ति हो तो वह इस अधिसूना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू–अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।

विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हैक्टयर)
मण्डी	बलद्वाडा	मनवाण	35 / 1	0–00–52
			36 / 1	0–00–0809
			37 / 1	0–00–53
			43 / 1	0–01–52
		कुल जोड़	किता–4	0–01–65

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव (लोक निर्माण)।

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 30 जुलाई, 2008

संख्या : एल0एल0आर0ई0(9)–1 / 2007.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या : एल0आर0 107–420 / 54 तारीख 25–1–1971 के क्रम में और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 27 के नियम 1 और 2 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल और मुख्य अरण्यपाल को, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग के लिए कार्य करने, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा या विरुद्ध वादों में वादपत्रों, लिखित कथनों, उत्तरों / प्रत्युत्तरों, अपीलों

तथा आक्षेपों आदि को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए और किसी भी न्यायिक कार्यवाही की बाबत विभाग / हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कार्य करने हेतू भी प्राधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
विधि परामर्शी–एवं–सचिव ।

———————

(Authoritative English Text of this Department Notification No.LLR-E(9)-1/2007 dated 30th July, 2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 30*th July*, 2008.

No.LLR-E(9)-1/2007.— In continuation of this Department Notification No. LR.107420/54 dated 25.1.1971 and in exercise of the powers vested in him under Rules 1 and 2 of the Order XXVII of the Code of Civil Procedure, 1908, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to authorise the Additional Principal Chief Conservator of Forests and Chief Conservator of Forests of Himachal Pradesh to act for the Forest Department, Government of Himachal Pradesh, to sign and verify the plaints, written statements, rejoinders/ replications, appeals and objections etc. in suits by or against the Government of Himachal Pradesh and also to act for the Department, Government of Himachal Pradesh in respect of any judicial proceedings.

By order,
Sd/-
L.R.-cum- Secretary.

———————

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमलाः 1 अगस्त, 2008

संख्याः विद्युत–छ–(5) 10 / 2007.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि पब्बर वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् / सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः उप मुहाल **मुंगरानडाल,** तहसील **जुब्बल,** जिला **शिमला** में सावडा कुडडू जल विद्युत परियोजना के **डंपिंग यार्ड व सड़क** के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अति आवश्यक अर्पेक्षित है। अतएवः एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्य को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, थिसिल बैंक भवन, शिमला–3 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	उप–मुहाल	खसरा नम्बर	रक्बा (हैक्टयेर में)
शिमला	जुब्बल	मुंगरानडाल	87	0–09–20
			33	0–09–71
			35	0–02–19
			29	0–00–63
			30	0–66–55
			30 / 1	0–05–55
			28	0–05–67
			34	0–01–79
			36	0–01–94
			31	0–13–18
			32	0–05–63
		किताः 11	कुल रकबाः	1–22–04

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

———

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला जिला शिमला–1

कार्यालय आदेश

दिनांक : .....

संख्याः 8–77 / 79–कपू.–– दी डाडा स्कलू कर्मचारी ऋण व बचत सहकारी सभा सी0 डाडा, डा वीरगढ़, तह0 कुमारसैन, जिला शिमला (वि.) का पंजीयन इस कार्यालय के पंजीयन संख्या 70 दिनांक 5–5–1936 के अन्तर्गत किया गया था। परन्तु सभा का गठन जिस उदेश्य की पूर्ति के लिए किया गया था सभा उस उद्देश्य में असफल रही है।

यह कि सभा का कार्य सहकारी सभायें अधिनियम नियम व उप–नियम के अन्तर्गत नहीं चल रहा था, इसलिए निरीक्षक, सहकारी सभायें, नारकण्डा ने इस सभा के उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विघटन में डालने की सिफारिश की थी। जिसके अन्तर्गत सभा को इस कार्यालय के आदेश संख्याः 1217 दिनांक 24–2–1969 के अन्तर्गत विघटन में डाला गया था।

यह कि सभा का ता–तारीख अंकक्षेण भी हो चुका है तथा सभा विघटक ने सभा के दायित्व एवं प्राप्तव्य राशियों को शून्य कर दिया है और अन्तिम रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित कर दी है।

अतः मैं, कुमारी रंजना सदू, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 की धारा 83(2) में प्रदान की गई पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 की शक्तियों को प्रयोग करते हुए उपरोक्त सभा का पंजीयन रदद् करने के आदेश देती हूँ तथा हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम 1971 के नियम 118 के अन्तर्गत उक्त सभा के समस्त रिकार्ड को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने का आदेश देती हूँ।

————

दिनांक : .....

संख्याः 3–6 / 96–कपू.–– दी कोटगढ़ मिशन स्कूल कर्मचारी ऋण व बचत सहकारी सभा सी0 कोटगढ़ (विघटनाधीन), तह0 कुमारसैन, जिला शिमला का पंजीयन इस कार्यालय के पंजीयन संख्या 69 दिनांक 1–5–1940 के अन्तर्गत किया गया था। परन्तु सभा का गठन जिस उदेश्य की पूर्ति के लिए किया गया था सभा उस उदेश्य में असफल रही है।

यह कि सभा का कार्य सहकारी सभायें अधिनियम नियम व उप–नियम के अन्तर्गत नहीं चल रहा था, इसलिए निरीक्षक, सहकारी सभायें, नारकण्डा ने इस सभा के उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विघटन में डालने की सिफारिश की थी। जिसके अन्तर्गत सभा को इस कार्यालय के आदेश संख्याः 4824.27 दिनांक 23–2–1996 के अन्तर्गत विघटन में डाला गया था।

यह कि सभा का ता–तारीख अंकेक्षण भी हो चुका है जिसके अनुसार सभा विघटक ने सभा के दायित्व एवं प्राप्तव्य राशियों को शून्य कर दिया है तथा अन्तिम रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित कर दी है।

अतः मैं, कुमारी रंजना सदू, सहायक पंजीयक सहकारी सभायें, शिमला, जिला शिमला, हि0 प्र0 सहकारी सभायें अधिनियम 1968 की धारा 83(2) में प्रदत्त पंजीयक सहकारी सभायें हि0 प्र0 की शक्तियों को प्रयोग करते हुए उपरोक्त सभा के पंजीयन को रदद् करने के आदेश देती हूँ तथा सभा के समस्त रिकार्ड को हि0 प्र0 सहकारी सभायें नियम 1971 के नियम 118 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने का आदेश देती हूँ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें शिमला।

———

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 1st *August*, 2008

No. FFE-B-F(6)-13/2005-loose.—In partial modification of Government notification 3-9/69-SF-III dated 08/09/83, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following rules for the "Supply and Wearing of Uniform articles to the Gazetted/ Non-Gazetted employees" of Wildlife Wing of the Himachal Pradesh Forest Department for Forest Rangers, Deputy Rangers and Wildlife Guards with immediate effect:—

(1) These rules will be applicable only for the above categories of field functionaries in wildlife Wing.

(2) The other conditions prescribed in the existing rules will be same as prescribed in the existing rules.

(3) All uniform articles are to be purchased at Government expenses at the rates contracts sanctioned by the Controller of Store, HP or directly from the factories/ authorized show rooms after completing all codal formalities. Rates may vary from year to year.

(4) These rules will come into force with immediate effect.

(5) The detail of the uniform articles to be supplied to the above staff is given as under:—

Rank	Name of Articles		Duration
Forest Rangers/ Deputy Rangers	1.	Green beret	1 No. in four years.
	2.	Turban	1 No. in one year.
	3.	Pant Terry cot.	1 No. in two years.
Wildlife Guards.	4.	Half sleeve shirt	1 No. in one year.
	5.	Full Sleeve Shirt with pockets Terry cotton.	1 No. in two years.
	6.	Belt with Brass buckle	1 No. or replacement When found un serviceable.
	7.	Boot Black ammunition	1 pair in two years.
	8.	Woolen Sweater full sleeves	1 No. in two years.
	9.	Badge	
		(i) Shoulder Badges embroidered	One in two years.
		(ii) Berret Brass Badge	One in two years.
	10.	Embroidered Shoulder stars	1 No. or replacement When found un serviceable.
	11.	Woolen socks	1 pair in one year.
	12.	Wind Cheater with badge	1 No. in three years.
	13.	Stitching charges	As per Govt. orders from time to time.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 2 अगस्त, 2008

संख्या एस0जे0 ई0–ए (3)–6 / 2005.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 (1997 का 22) की धारा 4 के साथ पठित धारा 21 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या डबल्यू0 एल0एफ0–ए (3)–2 / 97, तारीख 28–9–1997 द्वारा अधिसूचित और तारीख 25–11–1999 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्य वेतन तथा भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम 1999 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्य वेतन तथा भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) द्वितीय संशोधन नियम 2008 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **नियम 3 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्य वेतन तथा भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम 1999 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"**3 वेतन और भत्ते.**–(1) अध्यक्ष को प्रतिमास 20,000 / –रुपये (बीस हजार रुपये) की दर से एकमुश्त मानदेय संदत किया जाएगा । अध्यक्ष को यात्रा भत्ता / मंहगाई भत्ता उसी दर पर संदेय होगा जैसी राज्य सरकार के वर्ग–I अधिकारियों को नियमानुसार अनुज्ञेय है ।

(2) आयोग के सदस्यों को प्रति बैठक 600 / –रुपये छः सौ रुपये की दर से मानदेय या प्रतिमास 10,000 / –रुपये (दस हजार रुपये) का एकमुश्त मानदेय जो भी उच्चतर हो, संदत किया जाएगा ।"

आदेश द्वारा,
आर 0 के0 जैन,
प्रधान सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A(3)-6/2005 Dated: as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd August, 2008

No. SJE-A(3)-6/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 21 read with section 4 of the Himachal Pradesh State Commission for Women Act, 1996 (22 of 1997), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh State Commission for Women (Salaries and Allownaces and conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 1999, notified vide this department notification No. WLF-A(3)-2/97, dated: 28-9-1997 and published in the Rajpatra, Himachal (Extra-Ordinary) dated: 25.11.1999, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Commission for Women (Salaries and Allowances and conditions of service of Chairperson and Members) 2nd Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of rule 3.*—For rule 3 of the Himachal Pradesh State Commission for Women (Salaries and Allowances and conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 1999, the following shall be substitued, namely:—

"3. *Salaries and Allowances.*—(1) The Chairperson shall be paid a lump sum honorarium @ Rs. 20,000/-(Rupees twenty thousand) only per month. The TA/DA shall be payable to the Chairperson at the same rate as is admissible to Class-I officers of the State Government as per rules.

(2) " The Members of the Commission shall be paid honorarium @ Rs. 600/- per sitting or a lump sum honorarium of Rs. 10,000/- per month, whichever is higher."

By order,
R. K. JAIN,
Principal Secretary.

BADDI BAROTIWALA NALAGARH DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN

30th July, 08

No. BBNDA/ TCP/ Objections & Suggestions on D.D.P./08-13464-13500.—In pursuance to the powers conferred under sub-section (1) of section-19 of the Himachal Pradesh Town & Country Planning Act, 1977 (Act No, 12 of 1977), the draft Development Plan for Baddi Barotiwala Nalagarh Special Area is hereby published and the notice is given that a copy of the said draft Development Plan is available for inspection in the official website of the authority. The address of the site is www.himachal.nic.in/bbnda. The copy of the draft Development Plan is also kept at the following offices and can be inspected during office hours on any working day:—

1. Chief Executive Officer,
   Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority,
   Jharmajri, Baddi. (Phone No. 01795-271121)

2. The Sub Divisional Magistrate (SDM),
   Nalagarh, Teh. Nalagarh,
   Distt. Solan (H.P.). (Phone No. 01795-223024)

3. Assistant Town Planner,
   B.B.N.D.A., Near Shitla Mata Mandir,
   Nalagarh. (Phone No. 01795-220723)

4. Baddi Barotiwala Nalagarh Industries Association (BBNIA),
   Single Window office building,
   Baddi Barotiwala road. (Phone No. 01795-246495)

5. President,
   Municipal Council,
   Nalagarh. (Phone No. 01795-223028)

6. President,
   Nagar Panchayat,
   Baddi. (Phone No. 01795-246557)

7. Town & Country Planner,
Divisional Town Planning office,
Saproon, Solan. (Phone No. 01792-228485)

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to the Chief Executive Officer, BBNDA, Jharmajri, Baddi in writing before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Himachal Pradesh Rajpatra.

Schedule:

(i) The existing land use maps.

(ii) Narrative reports, supported by maps and Charts explaining the provisions of the draft Development Plan for:—

(a) Entire BBN area.

(b) Baddi-Barotiwala urbanised area.

(c) Nalagarh urbanised area.

(iii) The phasing of implementation of the draft Development Plan.

(iv) Development control regulations.

Place: Baddi.
Dated:

Sd/-
Chief Executive Officer,
BBNDA, Jharmajri, Baddi,
Distt Solan (H.P.).

In the Court of Shri Vinay Singh (H. A. S), Special Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate Manali, District Kullu (H. P.)**

In the Matter of :

Shri Tashi Tsering s/o Mr. Dorge Dundup, r/o Village Ating Zanskar, Leh & Ladakh' at present residing at V. P. O. Khakhanal, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) with Vogel Alexandra, d/o Prof. Dr. H. L. Vogel German National at present Prem Cottage Dhungri and presently residing at V. P. O. Khakhnal, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Tashi Tsering s/o Mr. Dorge Dundup, r/o Ating Zanskar & Vogel Alexandra, d/o Prof. Dr. H. L. Vogel at present V. P. O. Khakhnal, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an

application on 23-7-2008 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 30-8-2008 at 2.00 A. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 23rd day of July, 2008.

Seal.

VINAY SINGH (H. A. S.),
Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional, Magistrate, Manali, District Kullu (H. P.).*

In the Court of Shri Vinay Singh (H. A. S), Special Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate Manali, District Kullu (H. P.)**

In the Matter of :

Shri Duni Chand s/o Shri Ranjeet & Smt. Lalita Devi, r/o Bhajogi, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) with Pallavi d/o Late Shri Karam Chand & Smt. Meera Devi, r/o H. No. 353/11 Thanehra Muhalla Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Duni Chand s/o Shri Ranjeet & Smt. Lalita Devi, , r/o Bhajori, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 14-7-2008 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 28-8-2008 at 2.00 A. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 14 day of July, 2008.

Seal.

VINAY SINGH (H. A. S.),
Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional, Magistrate, Manali, District Kullu (H. P.).*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित